न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही

(पीठासीन अधिकारी: रिछपाल सिंह बुरडक, आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

मो. असरफ पुत्र मो. अली नागौरी, जाति- मुस्लिम, उम्र 45 वर्ष,
निवासी- माली समाज रोड, सिरोही
(मालिक एवं खाद्य काराबारकर्ता)
फर्म:- नागौरी मिल्क सेंटर, सरजावाव गेट, सिरोही, जिला- सिरोही

प्रकरण संख्या: 35/2019

''अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006''

उपस्थिति:

1. श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. प्रतिवादी मो. असरफ

-: निर्णय :- दिनांक 27 दिसम्बर, 2019

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 04.8.2019 को समय 4.00 पी.एम. पर फर्म नागौरी मिल्क सेन्टर, सरजावाव गेट, सिरोही, जिला- सिरोही पर पँहुचा। विक्रेता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति मो. असरफ पुत्र मो. अली नागौरी, जाति- मुस्लिम, निवासी- माली समाज रोड, सिरोही, जिला- सिरोही एवं फर्म नागौरी मिल्क सेन्टर, सरजावाव गेट, सिरोही, जिला- सिरोही पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ Mixed Milk बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ Mixed Milk के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की। दुकान के अन्दर डीप फ्रिज के चेम्बर में, बिक्री हेतु उपलब्ध Mixed Milk लगभग 20 लीटर को एक लीटर के नपने से अच्छी तरह हिला मिलाकर एक रुप किया एवं इस एक रुप किये हुए Mixed Milk में से 2 लीटर Mixed Milk एक साफ सूखे खाली भिगोने में खरीदा एवं Mixed Milk की कीमत रुपये 80/- अदा की व खरीद रसीद बिल प्राप्त किया एवं फार्म संख्या 5ए तैयार किया। खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैनें भी अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। मूल नमूना खरीद रसीद व फार्म संख्या 5ए न्याय निर्णयन

....पेज दो पर

आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्यकारोबारकर्ता एवं गवाहों को चार साफ सूखी एवं खाली शीशीयां दिखाई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं क्रमांक, दिनांक स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना शीशीयों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। तत्पश्चात् खरीद शुदा Mixed Milk को चारों साफ सूखी, खाली शीशीयों में बराबर बराबर मात्रा में भरा व प्रत्येक शीशी में 40-40 बूंदे फार्मेलीन की डाली तथा शीशीयों को को कार्क से एयरटाईट बंद किया। चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नं. S-998 को नियमानुसार चारो भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं मैनें भी अपने हस्ताक्षर किये और चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। खाद्य कारोबारकर्ता के द्वारा नमूने के चौथे भाग की जांच NABL ACCREDETED LAB से कराने की जानकारी दी, खाद्य कारोबारकर्ता ने इस प्रकार की जांच कराने से मना किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता मो. असरफ ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नं. 6 की 8 प्रतियों तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर 6 की एक-एक प्रति लगाकर नमूने के चारों भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा तथा फार्म संख्या 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग अलग आउटर कवर में बंद कर गोंद से चिपकाई। नमूनें के चारो भागों एवं लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 05.8.2019 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 05.8.2019 को ही शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 का सील बन्द ल्फिाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो न्याय निर्णयन आवेदन के संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ Mixed Milk की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता मो. असरफ से जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ Mixed Milk का नमूना S-998 अमानक (Sub-standard) पाया गया। जांच रिपोर्ट की की प्रति विक्रेता मो. असरफ को भेजकर सूचित किया कि जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नही हो तो अपील आवेदन प्रारुप 8 में पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को प्रस्तुत करे, लेकिन मो. असरफ ने

....पेज तीन पर

पुन: जांच का आवेदन प्रस्तुत नही किया। प्रकरण से संबंधित मूल कागजात एवं अधिसूचनाओं की छाया प्रतियां अभियोजन स्वीकृति हेतु अभिहित अधिकारी को पेश कर अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई। प्रतिवादी अभियुक्त ने अमानक Mixed Milk का विक्रय करके अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियुक्त पर जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी कर नोटिस की विधिवत तामिल कराई गई। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 16.12.2019 को प्रतिवादी अभियुक्त ने इस न्यायालय में उपस्थित हुआ एवं लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 04.8.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने जिस Mixed Milk का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट में सब स्टेण्डर्ड पाया गया। वह मैनें आस-पास के पशुपालकों से लिया था, मैनें मेरी ओर से इसमे कुछ भी नही मिलाया था, यह मेरी प्रथम गलती है। भविष्य में पशुपालकों से दूध लेने से पहले ध्यान रखूंगा एवं भविष्य में ऐसी गलती नही होगी। मुझे इस प्रकरण से मुक्त करावे।

(3) प्रकरण में प्रतिवादी मो. असरफ द्वारा उक्तानुसार गलती/जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से प्रकरण में दिनांक 16.12.2019 को ही उभय पक्ष की बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान परिवाद में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी अभियुक्त ने अमानक स्तर का मिक्सड मिल्क का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित किया जावे। जंबकि प्रतिवादी ने यह अनुरोध किया कि भविष्य में ऐसी गलती दुबारा नही करेगा, इसलिये कम से कम जुर्माना करके प्रकरण का निरस्तारण करावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 04.8.2019 को समय 4.00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म नागौर मिल्क सेंटर, सरजावाव गेट, सिरोही, जिला- सिरोही पर गये। उक्त फर्म नागौरी मिल्क सेंटर, सरजावाव गेट, सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से मो. असरफ पुत्र मो. अली नागौरी, निवासी- माली समाज रोड, सिरोही, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ Mixed Milk का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म नागौरी मिल्क सेंटर के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ Mixed Milk के अमानक होने का शक होने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना कय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री नवल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता व विक्रेता मो. असरफ को प्रपत्र संख्या 5ए में लिखित में दी व रसीद प्राप्त की। उक्त

...पेज चार पर

नागौरी मिल्क सेंटर डेयरी के अन्दर डीप फ्रिज के चैम्बर में आमजन के बिक्री हेतु लगभग 20 लीटर Mixed Milk रखा हुआ था, जिसको एक लीटर के नपने से अच्छी तरह हिला मिलाकर एक रुप किया एवं इस एक रुप किये हुए Mixed Milk में से 2 लीटर Mixed Milk को एक साफ सूखे खाली भिगोनें में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 80/- (अक्षरे रुपये अस्सी मात्र) विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता मो. असरफ को नकद अदा कर रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए व नमूना खरीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता मो. असरफ एवं उक्त गवाह तथा आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहों को चार साफ सूखे एवं खाली शीशीयां दिखाकर खरीद शुदा Mixed Milk को चारों साफ सूखी, खाली शीशीयों में बराबर-बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक नमूना शीशी में फार्मेलीन की 40-40 बूंद डालकर शीशीयों के ढक्कन को एयरटाईट बंद किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-998, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर विक्रेता मो. असरफ एवं उक्त गवाहों के हस्ताक्षर कराये तथा स्वयं आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-998 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता मो. असरफ व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता मो. असरफ व उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का बिल, रसीद एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत फर्म नागौरी मिल्क सेन्टर, सरजावाव गेट, सिरोही, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता मो. असरफ से खाद्य पदार्थ Mixed Milk को नमूना जांच हेतु कय करने की कार्यवाही विधिवत की है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतिया तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर सील चपडी किया। फार्म नम्बर 6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफों में रखकर लिफाफों को सिल चपडी से सिल्ड किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 05.8.2019 को नमूने का एक भाग एवं

....पेज पांच पर

फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 05.8.2019 को ही नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर-6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ Mixed Milk का नमूना संख्या S-998 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./606/Act/2019/659 दिनांक 13.8.2019 के अनुसार आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म नागौरी मिल्क सेंटर, सरजावाव गेट, सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता मो. असरफ से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ Mixed Milk का नमूना अमानक (Sub-standard) होना पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी मो. असरफ ने अमानक खाद्य पदार्थ Mixed Milk का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा- 2(ii) का उल्लंघन है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 के तहत प्रतिवादी अभियुक्त मो. असरफ पुत्र मो. अली नागौरी, जाति- मुस्लिम, निवासी- माली समाज रोड, सिरोही, जिला- सिरोही, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, फर्म नागौरी मिल्क सेन्टर, सरजावाव गेट, सिरोही, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 20,000/- (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी मो. असरफ पुत्र मो. अली नागौरी, जाति- मुस्लिम, निवासी- माली समाज रोड, सिरोही, जिला- सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2020.01.14 11:01:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: